संख्या- 2/2019/2082/छप्पन-2018-10(3)/2004

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 15 जनवरी, 2019

विषय: जनपद लखनऊ में लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे विस्तार से बंगला बाजार से बिजनौर पथान्तर योजना हेतु अर्जित भूमि ग्राम औरंगाबाद जागीर में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में प्रतिकर धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक : 384/ना0उ0नि0/2018 दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण, लखनऊ के प्रकीर्ण वाद संख्या-21/2002, श्री गोपी नाथ पुत्र स्व0 होईनमल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.06.2017 द्वारा बढ़े हुए प्रतिकर की धनराशि रू0 46,70,440/- (रूपए छियालीस लाख सत्तर हजार चार सौ चालीस मात्र) मा0 न्यायालय में जमा किए जाने की अपेक्षा की गई है। अत: बढ़े हुए प्रतिकर की उक्त धनराशि रू0 46,70,440/- (रूपए छियालीस लाख सत्तर हजार चार सौ चालीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध आपके द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र में किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण, लखनऊ के प्रकीर्ण वाद संख्या-21/2002, श्री गोपी नाथ पुत्र स्व0 होईनमल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.06.2017 के अनुपालनार्थ मा0 न्यायालय में जमा कराने हेतु बढ़े हुए प्रतिकर की कुल धनराशि रू0 46,70,440/- (रूपए छियालीस लाख सत्तर हजार चार सौ चालीस मात्र) के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहर्ष निम्न शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जाएगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, लखनऊ के निवर्तन पर रखी जाएगी तथा जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण, लखनऊ के प्रकीर्ण वाद संख्या-21/2002, श्री गोपी नाथ पुत्र स्व0 होईनमल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.06.2017 के अनुपालनार्थ बढ़े हुए प्रतिकर की धनराशि 46,70,440/- (रूपए छियालीस लाख सत्तर हजार चार सौ चालीस मात्र) तत्काल मा0 न्यायालय में जमा कराई जाएगी।

4- जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को तत्काल सूचित किया जाएगा।

5- उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखा-लेखाशीर्षक ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800- अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत निर्माण कार्य'' से वहन की जाएगी।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर-2(21) में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

पृ0सं0: 2/2019/2082(1)/छप्पन-2018-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
4- अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), सं0सं0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।
7- मा0 पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, लखनऊ।
8- निजी सचिव, मा0 मंत्री, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0।
9- न्याय अनुभाग-6/वित्त (व्यय-नियन्त्रण), अनुभाग-7
10- समीक्षा अधिकारी (बजट)
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in